चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय,मेरठ
Chaudhary Charan Singh University, Meerut

NAAC A++
Email.:-registrar@ccsuniversity.ac.in
website:- www.ccsuniversity.ac.in

पत्रांक : सम्बद्धता / 1948 2025–26

दिनांक : 05/08/2026

सेवा में,

1. सचिव / प्राचार्य
अनुदानित अशासकीय सहायता प्राप्त सम्बद्ध महाविद्यालय
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

2. समस्त विभागाध्यक्ष
विश्वविद्यालय परिसर,
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

विषयः–नियम 115 के अन्तर्गत डॉ0 मानवेन्द्र प्रताप सिंह 'गुरू जी', मा0 सदस्य विधान परिषद द्वारा दिनांक' 04.08.2026 को दी गयी सूचना के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया

कृपया उपरोक्त विषयक संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के संलग्न पत्र संख्याः 1331 / सत्तर–1–2026 दिनांकः 04.08.2026 का संदर्भ ग्रहण करने, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश द्वारा अनुदानित अशासकीय सहायता प्राप्त (Government Aided) महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों मे कार्यरत तथा विश्वविद्यालयों द्वारा विनियमित असिस्टेंट प्रोफेसरों की सेवा अवधि, योग्यता एवं कार्य अनुभव को दृष्टिगत रखते हुए उनके विनियमीकरण (Regularization) के संबंध में प्रभावी नीति बनाये जाने हेतु निर्देश प्रदान किये गये है।

उक्त के सम्बन्ध में आपसे अपेक्षा है कि आप शासन के संलग्न पत्र में उल्लेखित दिशा–निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करे।

संलग्नकः शासन के पत्र दिनांकः 04.08.2026

भवदीय,

Bhue 05/8/26
कुलसचिव

प्रतिलिपिः–

1 सचिव कुलपति को मा0 कुलपति महोदया के सूचनार्थ प्रेषित।
2 छात्र कल्याण अधिष्ठाता, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रेस प्रवक्ता, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रभारी, वेबसाइट, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को सूचनार्थ प्रेषित।

कुलसचिव

प्रेषक,

शकील अहमद सिद्दीकी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या- 1331 /सत्तर-1-2026-

सेवा में,

1. **निदेशक, उच्च शिक्षा,**
   उ0 प्र0, प्रयागराज।
2. **कुलसचिव,**
   समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उ0प्र0।

उच्च शिक्षा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक: 04 अगस्त, 2026**

विषयः- नियम 115 के अन्तर्गत डा0 मानवेन्द्र प्रताप सिंह 'गुरू जी', मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा दिनांक 04.08.2026 को दी गयी सूचना के सम्बन्ध में

महोदय,

उपर्युक्त विषय में अवगत कराना है कि नियम 115 के अन्तर्गत डा0 मानवेन्द्र प्रताप सिंह 'गुरू जी', मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा दिनांक 04.08.2026 को दी गयी सूचना निम्नवत है:-

"मैं सदन का ध्यान उत्तर प्रदेश के अनुदानित अशासकीय सहायता प्राप्त (Government Aided) महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में कार्यरत तथा विश्वविद्यालयों द्वारा विनियमित असिस्टेंट प्रोफेसरों के विनियमीकरण के अत्यंत महत्वपूर्ण जनहित एवं शिक्षक हित से जुड़े विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ।

प्रदेश के विभिन्न अनुदानित अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में अनेक असिस्टेंट प्रोफेसर वर्षों से पूर्ण निष्ठा, समर्पण एवं दक्षता के साथ शिक्षण कार्य का निर्वहन कर रहे हैं। इन शिक्षकों ने उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने, विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने तथा विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों की शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके बावजूद इनका विनियमीकरण आज तक न हो पाने के कारण वे सेवा सुरक्षा, वेतनमान, पदोन्नति, पेंशन तथा अन्य वैधानिक सेवा लाभों से वंचित हैं।

इस अनिश्चित सेवा स्थिति के कारण शिक्षकों में असुरक्षा एवं निराशा का वातावरण व्याप्त है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव उच्च शिक्षा व्यवस्था पर भी पड़ रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा, शिक्षकों के सम्मान एवं शैक्षणिक संस्थानों को सुदृढ़ बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में लंबे समय से कार्यरत एवं विश्वविद्यालयों द्वारा विनियमित असिस्टेंट प्रोफेसरों के हितों का संरक्षण करना समय की महत्वपूर्ण आवश्यकता है।

अतः लोकमहत्व के तात्कालिक, अविलम्बनीय सुनिश्चित गंभीर विषय पर उत्तर प्रदेश के अनुदानित अशासकीय सहायता प्राप्त (Government Aided) महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में कार्यरत तथा विश्वविद्यालयों द्वारा विनियमित असिस्टेंट प्रोफेसरों की सेवा अवधि, योग्यता एवं कार्यानुभव को दृष्टिगत रखते हुए उनके विनियमीकरण (Regularization) के संबंध में यथाशीघ्र प्रभावी नीति बनाकर आवश्यक प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने इस सदन में विषय पर वक्तव्य और चर्चा कराये जाने की मांग करता हूँ। "

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया मा0 सदस्य द्वारा दी गयी उक्त सूचना के सम्बन्ध में 02 दिन के भीतर आख्या शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Digitally signed by
Shakil Ahmad Siddiqui
Date: 04-08-2026
12:57
(शकील अहमद सिद्दीकी)
संयुक्त सचिव

niyam g.o.